

v. 500

FIVE HUNDRED
RUPEES

Rs. 500

पांच सो रुपये

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

2 9 APR 2022

W 617673

। । किरायानामा । ।

यह लीज डीड आज दिनांक 18.05.2022 ईस्वी को जयपुर शहर में निम्न पक्षकारान् के मध्य निम्न प्रकार लिखा जाकर तस्दीक किया गया है।

(1) श्री पुनीत गुप्ता पुत्र श्री अरुण गुप्ता उम्र 33 वर्ष, (2) मनीषा गुप्ता पत्नी श्री पुनीत गुप्ता उम्र 32 वर्ष निवासी- 11, शीतल कॉलोनी, बलवन्त नगर, थाटीपुर, गिर्द, ग्वालियर, मध्य प्रदेश- किरायेदार- जिसे इस लेख पत्र में आगे शब्द ''प्रथमपक्ष'' से सम्बोधित किया गया है।

एवम्

श्रीमती भावना गोस्वामी पत्नी श्री अंकुर गोस्वामी, आयु 36 वर्ष, निवासी- 118/95, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान राज्य- मालिक सम्पत्ति- जिसे इस लेख पत्र में आगे शब्द 'द्वितीयपक्ष' से सम्बोधित किया गया है।

Punit GuptA हस्ताक्षर किरायेदार प्रथमपक्ष

हस्ताक्षर विला मालिक द्वितीयपक्ष

यह कि दितीयपश्च के अधिकार एवं स्वामित की एक सम्बंति विना नं. 340, जो कि ओमंदम् सिटी, प्रथम फेज, बह के बालाजी, सारंगपुरा, अजमेर रोड़, जवपुर, राजन्यान प्रान्त में स्थित है। इस विला में भू-तल पर स्थित दो बेहरूम, एक झहंन कील, एक कियन एवं दो लेट-बाय स्थित हैं, को दितीयपश्च, प्रथमपश्च को लीज पर देना चाहता है एवं प्रथमपश्च को लीज पर लेना चाहता है। इस लीज डीड का प्रथमपश्च ने निम्न तथ क्रतों पर दितीयपश्च के हित में निष्पादन कर दिया है।

- यह कि द्वितीयपक्ष ने अपनी उक्त वर्षित अचल सम्यक्ति को प्रवसमक को 11 सह के लिये किराये पर दे दिया जिसे प्रवसपक्ष ने अपने आवासीय उपयोग हेतु किराये पर प्रान्त किया है।
- 2. यह कि प्रतिमाह किराया राशि रुपये 7,500/- अक्षरे सात हजार पांच सौ प्रचास रुपये अलावा मेन्टिनेन्स तथा विद्युत व्यय के निर्घारित की गई है, यह राशि प्रथमपक्ष नियमित रूप से द्वितीयपक्ष को प्रतिमाह की 10 तारीख तक अग्रिम रूप से अदा करेगा तथा इस अदावनों की रसीद हस्ताक्षरित द्वितीयपक्ष से प्राप्त करता रहेगा बगैर रसीद किराया अदावनों नहीं मानी जावेगी।
- 3. यह कि उक्त किरायेशुदा परिसर का किराया दिनांक 01.05.2022 से शुरु माना जादेगा।
- 4. यह कि किरायान्तर्गत उक्त सम्पिता का मौतिक कब्जा प्रथमपक्ष ने द्वितीवपक्ष से दिनांक 01.05.2022 को सही व दुरुस्त हालत में संभाल लिया है, जिस पर आज से ही प्रथमपक्ष बतौर किरायेदार के काबिज हो गया ।
- 5. यह कि द्वितीयपक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति अच्छी प्रकार से एवं सही अवस्था में प्रवमपक्ष को संभला रखी है जिसे प्रथमपक्ष किराये की अविध के दौरान भली प्रकार से सार संभाल कर के रखेगा तथा इसकी नल-बिजली आदि अपने खर्चे से करवाता रहेगा।
- 6. यह कि किराया अविध के दौरान द्वितीयपक्ष द्वारा किराये पर दी गई सम्पत्ति में प्रक्रमण्ड ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो गैर कानूनी हो तथा जिससे जन साधारण को व्यवधान या क्षिति पहुंचे तथा मुख्य परिसर के संयोजन में कोई विकृति पैदा हो जो न्यूसेंस की श्रेणी में आता हो।
- 7. यह कि किराये पर दी गई सम्पत्ति प्रथमपक्ष द्वारा हस्तान्तरण, पार्ट किद पजेशन या सबलेट पाई जावे तो द्वितीयपक्ष को यह लीज डीड निरस्त कर किराये पर दी गई सम्पत्ति का जावन कब्जा प्राप्त करने का अधिकार होगा ।
- 8. यह कि प्रथमपक्ष स्वयं अपने खर्चे से उक्त किरायेश्वदा सम्पत्ति में बिजली/पानी के क्नैक्शन चालू अवस्था में विद्यमान हैं तथा बिजली/पानी के बिल संबंधित विभाग में किराये की राशि के अतिरिक्त समय-समय नियमानुसार उपभोगानुसार जमा करायेगा तथा सम्पत्ति खाली करके संमलाते समय पूर्ण अदायगी की रसीदें द्वितीयपक्ष को संमलायेगा।

- 9. यह कि प्रथमपक्ष को किरायेशुदा सम्पत्ति में किसी प्रकार की तोड़-फोड़, फेरबदल इत्यादि का कार्य करने का अधिकार नहीं होगा।
- 10.यह कि किराया अवधि की समाप्ति अथवा जब भी प्रथम पक्ष किरायेशुदा सम्पत्ति खाली करेगा तो इस खाली परिसर का भौतिक कब्जा अच्छी स्थिति में बिना टूट-फूट के द्वितीय पक्ष को संभलायेगा।
- 11.यह कि उक्त किरायेदारी 11 माह बाद स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी एवं दोनों पक्षकार चाहें तो आपसी सहमति से नई शर्तों पर नया किरायानामा लिखकर उक्त किरायेदारी को आगे बढ़ा सकते हैं तथा किराया कम से कम 10% बढेगा।
- 12.यह कि उक्त किरायेशुदा परिसर के उपर की छत किराये पर नहीं दी गई है।
- 13.यह कि उक्त किरायेशुदा सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का सरकारी गैर सरकारी टैक्स, हाउस टैक्स, शुल्क आदि लगेगा तो वह सब प्रथम पक्ष किराये के अतिरिक्त स्वयं अपने पास से वहन करेगा।
- 14.यह कि किरायेदार किसी प्रकार की अवैधानिक कार्य करेगा तो ऐसे कार्य की समस्त जिम्मेदारी किरायेदार प्रथमपक्ष की होगी इससे द्वितीयपक्ष मालिक का कोई लेना देना व जिम्मेदारी नहीं होगी तथा द्वितीय पक्ष तुरन्त प्रभाव से इस आधार पर परिसर खाली करवा सकेगा।
- 15.यह कि प्रथमपक्ष किरायेदार के घरेलू सामान की जिम्मेदारी स्वयं प्रथमपक्ष की होगी।
- 16.यह कि प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को एक माह का किराया एडवांस दे दिया है तथा एक माह के किराये के बराबर राशि सिक्योरिटी पेटे अदा की है जो किरायेदारी समाप्त होने पर यदि कोई बिजली-पानी का बिल बकाया हो तो वह रकम काटकर शेष भुगतान द्वितीयपक्ष द्वारा प्रथमपक्ष को बिना ब्याज के कर दिया जायेगा।
- 17.यह कि प्रथमपक्ष द्वारा किरायेनामे की अवधि से पूर्व किरायेशुदा परिसर खाली करना चाहे तो प्रथमपक्ष को द्वितीयपक्ष सम्पत्ति मालिक को 30 दिवस पूर्व सूचना देनी होगी तथा इसी प्रकार द्वितीयपक्ष सम्पत्ति मालिक प्रथमपक्ष से किरायेनामे की अवधि से पूर्व किरायेशुदा परिसर खाली करवाना चाहे तो 30 दिवस पूर्व सूचना देनी होगी।
- 18.यह कि किरायेदारी का किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह परिसर को खाली करवा सके।

1 Berra

Punit Gupta हस्ताक्षर किरायेदार प्रथमपक्ष

हस्ताक्षर विला मालिक द्वितीयपक्ष

किराये पर ली गई सम्पत्ति का विवरण

विला नं. 340, जो कि आमेक्स् सिटी, बड के बालाजी, सारंगपुरा, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान प्रान्त में स्थित है। विला के भू-तल पर रहने की व्यवस्था है, दो कमरे, एक किचन, दो लेटबाय व एक हॉल है।

बिला कि भू-तल पर लगे सामान का विवरण

ट्यूबलाईटे 02

08 (होल्डर) सीएफएल

सीलिंग फैन 04

गीजर 02

अलमारी 02

गद्दे सहित बैड 01, 01 गद्दा

कुर्सी 02

सोफा (सिंगल) 01

01 कूलर

01 (एक सेट) (09 चाबी) चाबी

अतः यह किरायानामा दोनों पक्षों ने अपने स्वस्य चित्त व स्थिर बुद्धि की अवस्था में 500/- रूपये के एक के किता स्टाम्प पेपर व 03 किता पाई पेपरों पर लिखवाकार भली प्रकार पढ़ सुन व सोच व समझकर अपने हस्ताक्षर निम्न गवाहान के समक्ष कर दिये हैं कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे । इति दिनांक 18.05.2022

Punit Gupta हस्ताक्षर किरायेदार प्रथमपक्ष

हस्ताक्षर विला मालिक द्वितीयपक्ष

गवाह 2 नामः

पिता का नामः

गवाह 1 DR GOSWAM
नामः DR GOSWAM
पिता का नामः Beharital gown
पताः 513 Behari Lura
Vonntalian

पताः